

**मूल वाद में फाइनल डिक्री**

(आदेश 20 नियम 6 और 7 )

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

1. गोविन्द सिंह पुत्र श्री सत्यपाल  
सिंह जाति राजपूत निवासी संजीवनी  
हॉस्पिटल के सामने बोरखेडा कोटा  
-वादीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र नारायण निवासी अर्जुनपुरा
2. रामभरोस पुत्र नारायण निवासी अर्जुनपुरा
3. रामप्रसाद पुत्र नारायण मृतक जय का 0मु0
  - 3.1 परमानन्द पुत्र रामप्रसाद
  - 3.2 सोहन पुत्र रामप्रसाद
  - 3.3 मोहन पुत्र रामप्रसाद
  - 3.4 विजय पुत्र कुम्भराज पौत्र रामप्रसाद
  - 3.5 अजय पुत्र कुम्भराज पौत्र रामप्रसादजाति माली निवासी अर्जुनपुरा कोटा
4. लक्ष्मी बाई पुत्री नारायण मृतक जय का 0मु0
  - 4.1 राजेन्द्र पुत्र रामनारायण
  - 4.2 घीसी बाई पुत्री रामनारायण
  - 4.3 चतुर्भुजी बाई पुत्र रामनारायण
  - 4.4 नर्बदा पुत्र रामनारायण
  - 4.5 ललिता बाई पुत्री रामनारायण
  - 4.6 मनभर पुत्र रामनारायणजाति माली निवसीगण सरकारी स्कूल के पास से  
नदी वाला रोड, मस्जिद के पास की गली ग्राम  
घघटाना जिला कोटा
5. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल जाति गुर्जुत निवासी ग्राम  
चन्देसल जिला कोटा।
6. देवेन्द्र पुत्र रामकल्याण मृतक जय का 0मु0
  - 6.1 श्रीमति राजेश पत्नि देवेन्द्र
  - 6.2 अनिल पुत्र देवेन्द्र
  - 6.3 हंसमुख पुत्र देवेन्द्रजाति माली निवासीगण अर्जुनपुरा कोटा
7. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामकल्याण
8. दिनेश पुत्र रामकल्याण
9. सुनीता बाई पुत्री रामकल्याण
10. मनोहर बाई पुत्री रामकल्याण
11. लटूरी बाई बेवा रामकल्याण
12. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा।

- प्रतिवादीगण

**:-: वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम :-:**

**मुकदमा नं. 32/2020**

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का सोगरिया के खाता स0 132 की आराजी ख0न0 718 रकबा 0.17 है0, ख0न0 719 रकबा 0.21 है0, ख0न0 720 रकबा 0.16 है0, ख0न0 721 रकबा 0.32 है0, ख0न0 722 रकबा 0.38 है0, ख0न0 723 रकबा 0.27 है0, ख0न0 724 रकबा 0.04 है0, ख0न0 725 रकबा 0.04 है0, ख0न0 726 रकबा 0.18 है0, ख0न0 727 रकबा 0.05 है0, ख0न0 728 रकबा 0.31 है0,



7  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, कोटा:-0744-2325871

ख0न0 729 रकबा 0.16 है0, ख0न0 730 रकबा 0.15 है0, ख0न0 731 रकबा 0.20 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 2.64 है0 मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाईनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

क्र0सं0	नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	ग्राम का नाम
1.	गोविन्द सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह जाति राजपूत नि0 संजीवनी हॉस्पिटल के सामने बोरखेडा	729	0.16 है0	अर्जुनपुरा
		किता 1	0.16 है0	
2.	1.मदनलाल, रामभरोस पिता नारायण हि0 66/155 हि0 ब0 2.परमानन्द, सोहन, मोहन पुत्र रामप्रसाद हि0 6/155 हि0 ब0 3.विजय, अजय पिता कुम्भराज हि0 2/155 हि0 ब0 4.अनिल, हंसमुख पुत्र देवेन्द्र, राजेश पत्नि देवेन्द्र हि0 33/930 हि0 ब0 5.जितेन्द्र कुमार, दिनेश पुत्र रामकल्याण, सुनीताबाई, मनोहरबाई पुत्रियां रामकल्याण, लटूरीबाई पत्नि स्व0 रामकल्याण हिस्सा 11/62 हि0ब0 जाति माली सा0 अर्जुनपुरा 6. कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल हि0 3/31 जाति गुर्जर सा0 चंद्रसेल 7.राजेंद्र पुत्र रामनारायण, घीसीबाई, चतुर्भुजीबाई, नर्बदाबाई, ललिताबाई, मनभरबाई पुत्रियां रामनारायण हि0 33/155 हि0ब0 जाति माली सा0 अर्जुनपुरा	718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 730 731 कुल किता -13	0.17 0.21 0.16 0.32 0.38 0.27 0.04 0.04 0.18 0.05 0.31 0.15 0.20 कुल रकबा - 2.48 है0	अर्जुनपुरा

इस वाद के खर्चे लेखे...X...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित... X .....द्वारा ..... X .....को दी जाए ।

यह डिक्री आज तारीख 31/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा

वाद के खर्चे			
वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
कोटा